न्यायालय, उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

राजसात वाद संख्या-114/2022

राज्य

बनाम्

बिरेन्द्र यादव वगैरह

—: आदेश :—

23/01/23

वर्तमान वाद की प्रक्रिया जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार के पत्रांक 924/एम0 दिनांक 22.09.2022 एवं पत्रांक 1072/एम0 दिनांक 21.11.2022 से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया।

राज्य सरकार की ओर से जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार द्वारा दाखिल दस्तावेज एवं विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया।

यह वाद मनिका थाना सन्हा संख्या–06/22 दिनांक 22.09.2022 एवं सन्हा संख्या–18/22 दिनांक 21.09.2022 से संबंधित है। जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार द्वारा "The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules 2017" के नियम 11(V) के आलोक में जप्त 1. महिन्द्रा ट्रैक्टर रंजि0 न0–JH19C-5025, Eng. No.-NKK2EMJ0457, Chassis No- MBNABAEXPKJL03964 एवं 2. महिन्द्रा ट्रैक्टर रंजि0 न0–JH19C-4717, Eng. No.-NLK2EME0037, Chassis No-MBNABAEXPLJL05178 को राजसात करने के लिए प्रतिवेदन दिया गया है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि जप्त वाहन संख्या–JH19C-5025 के निबंधित स्वामी बिरेन्द्र यादव, पिता–कृष्णा यादव, ग्राम–मनिका, थाना–मनिका, जिला–लातेहार है। इस ट्रैक्टर से निजी कार्य हेतु अपने चाचा कलेश्वर यादव के आग्रह पर दुमुहान नदी से बालू ढुलाई कर रहा था और माईनिंग ऑफीसर द्वारा जप्त कर लिया गया। कलेश्वर यादव द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मनिका को मुखिया द्वारा अनुशंसा कराकर बालू के संबंध में

आवेदन भी दिया गया था। प्रतिपक्षी की यह पहली गलती है। वाहन संख्या–JH19C-4717 के निबंधित स्वामी अरविन्द उरांव, पिता–कामेश्वर उरांव, ग्राम–लाली, थाना–मनिका, जिला–लातेहार हैं। इस ट्रैक्टर से निजी कार्य प्रधानमंत्री आवास निर्माण हेतु दुमुहान नदी से बालू की ढुलाई की जा रही थी। विपक्षी का यह पहली गलती है, जो अज्ञानतावश हुआ है। प्रतिपक्षीगण भविष्य में अपने ट्रैक्टर से बालू ढुलाई का कार्य नहीं करेंगे।

राज्य की ओर से जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार द्वारा दाखिल दस्तावेज में कहा गया है कि थाना प्रभारी, मनिका थाना द्वारा दिनांक 21.09.2022 एवं दिनांक 22.09.2022 को प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर मनिका थाना क्षेत्र अन्तर्गत अवैध परिवहन की रोकथाम हेतु निरीक्षण एवं जांच के क्रम में दुमुहान स्थित औरंगा नदी से अवैध बालू खनिज का उठाव कर ट्रैक्टर द्वारा परिवहन करते हुए ग्राम– लाली के पास उक्त दोनों ट्रैक्टर के ट्रॉली में लदे अवैध बालू खनिज वाहन को थाना प्रभारी, मनिका द्वारा जप्त कर मनिका ब्लॉक पिकेट परिसर में सुरक्षार्थ रखा गया है।

दोनों पक्षों के बहस सुनने एवं तथ्यों के समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि वाहन का उपयोग नहीं होने पर आर्थिक क्षति होने की संभावना है।

अतः जप्त वाहन 1. महिन्द्रा ट्रैक्टर रंजि० न०–JH19C-5025, Eng. No.-NKK2EMJ0457, Chassis No- MBNABAEXPKJL03964 एवं 2. महिन्द्रा ट्रैक्टर रंजि० न०–JH19C-4717, Eng. No.-NLK2EME0037, Chassis No-MBNABAEXPLJL05178 को ट्रॉली सहित निम्नलिखित शर्तों एवं प्रति ट्रैक्टर एक–एक लाख रू० का जमानत बंध–पत्र तथा एक स्थानीय जमानतदार के आधार पर विमुक्त करने का आदेश दिया जाता है:–

1. उक्त वाहन की प्रकृति वो पहचान बिना न्यायालय के आदेश का बदल नहीं सकेंगे।
2. जब कभी भी न्यायालय को वाहन मालिक/वाहन की आवश्यकता होगी, अविलम्ब न्यायालय के आदेश का पालन करेंगे वो वाहन को न्यायालय में समर्पित करेंगे।
3. वाहन को किसी दूसरे के पक्ष में बिना न्यायालय के आदेश का हस्तांतरण नहीं करेंगे।

4. उक्त वाहन मालिक अपना हस्ताक्षरित आधार कार्ड पर मोबाईल नं0 अंकित कर समर्पित करेंगे।

विपक्षीगण अपने वाहन के संबंध में उपरोक्त शर्तों से संबंधित शपथ पत्र एवं प्रति ट्रैक्टर एक–एक लाख रू0 का जमानत बंध–पत्र तथा एक स्थानीय जमानतदार से संबंधित कागजात 08 सप्ताह के अन्दर दाखिल करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
लातेहार।

उपायुक्त,
लातेहार।

Digitally signed by Garima Singh
Date: 2024.09.20 16:50:28 +05:30
Location: 192.168.164.143